

प्लास्टिक प्रदूषण का बढ़ता संजाल

चर्चा में क्यों?

- हमारे समुद्र तटों, जलमार्गों, वनों और यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी पाए जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की भारी मात्रा पर ध्यान केंद्रित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दविस के लिये "प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ" (beat plastic pollution) वषिय को चुना।
- भारत में भी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या बढ़ती जा रही है जसि देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा द एनरजी एंड रसोर्ससज़ इंस्टीट्यूट (TERI) के साथ मलिकर 'प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के अवसर और चुनौतियाँ' नामक एक चर्चा-पत्र जारी कयिा गया।

महत्त्वपूर्ण बडि

- यूरोपीय संघ ने पर्यावरण दविस के अवसर को चम्मच, कॉटन बड्स और ड्रकिंग स्ट्रॉ जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतबिध लगाने के प्रस्ताव के बारे में चर्चा के लयि चुना। जब संबंधित कानून पारति होगा तो अपशिष्ट को इकट्ठा करने और नसितारति करने का दायतिव इन उत्पादों के नरिमाताओं पर होगा।
- इसके सदस्य देशों को 'उपयोग करो और फेंको' की संस्कृति को हतोत्साहति करने के लयि 2025 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पैय की बोटलों का 90 प्रतशित इकट्ठा करने और नरिमाताओं को टकिारु सामग्रयिों में बदलने की भी आवश्यकता होगी।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लयि संगठति तंत्र का अभाव

- TERI द्वारा जारी कयि गए पत्र ने कुछ चॉकाने वाले तथ्यों का खुलासा कयिा है। भारत में प्रत वियकृति प्लास्टिक खपत लगभग 11 कलोग्राम है, जो 28 कलोग्राम के वैश्विक औसत से काफी कम है, लेकनि इसमें से केवल 60 प्रतशित का ही पुनरचकरण हो पाता है।
- चतिा का प्रमुख कारण प्रत दिनि उत्पन्न 15,342 टन प्लास्टिक अपशिष्ट के नसितारण के लयि एक संगठति तंत्र की कमी है।
- केंद्रीय प्रदूषण नयितंत्रण बोर्ड के ऑकड़ों के अनुसार, कुल ठोस कचरे में प्लास्टिक का योगदान 8 प्रतशित होता है, इसमें सर्वाधिक योगदान दल्लिा का फरि कोलकाता और अहमदाबाद का है।
- इसके अलावा, चर्चा-पत्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमान का उद्धरण देता है, जसिमें 2022 तक भारत में 20 कगिरा प्लास्टिक की वार्षिक प्रत वियकृति खपत का अनुमान लगाया गया है, जसिका समाधान न करना बडे संकट को आमंत्रति करेगा।

TERI द्वारा दयि गए कुछ सुझाव

- TERI के चर्चा-पत्र में कुछ वहनीय विकल्पों की सूची दी गई है, जनिकी खोज इसकी शोध और नीतिल ने इस मुद्दे को हल करने के लयि की है, हालाँकि कुछ परीक्षण अभी भी कयि जा रहे हैं।
- पहला विकल्प है अल्पकालिक उपयोग वाले उत्पादों के लयि थोडा महँगे, बायो-आधारित और बायोडगिरेडेबल प्लास्टिक का उत्पादन करना जो स्टार्च, सेलुलोज और पॉल्लिकटिक एसडि का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है।
- दूसरा विकल्प जसि चर्चा-पत्र में 'व्यवहार्य और तकनीकी रूप से सुसंगत' कहा गया है, वस्तुतः उन तकनीकों का उपयोग करके प्लास्टिक के पुनरचकरण से संबंधति है जनि के माध्यम से कच्चे माल की दूसरी आपूरति श्रृंखला का उत्पादन कयिा जा सकता है। अपशिष्ट पदानुक्रम के अनुसार, पुनरचकरण के माध्यम से द्वितीयक कच्चे माल की पुनरप्राप्ति को पुनः उपयोग के बाद सर्वोच्च प्राथमकता दी जाती है।
- शोध के तहत तीसरा विकल्प अपशिष्ट प्लास्टिक से ईधन उत्पन्न करना है।
- चौथा विकल्प गैर-पुनरचकरण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के लयि अन्य उपयोगी अनुप्रयोगों को ढूँढना है। वर्तमान में इसको बटुमनि के साथ मलिकर सीमेंट भट्टयिों में और सडकों को बछिाने के लयि उपयोग कयिा जा रहा है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लयि कानूनी प्रावधान

- प्लास्टिक अपशिष्ट में हो रही वृद्धि के कारणों में कानूनों का उचित रूप से करयिान्वयन न कयिा जाना एक प्रमुख कारण है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नयिनों को पहली बार वर्ष 2011 में पर्यावरण संरक्षण अधिनयिम, 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत कयिा गया था।
- इन नयिनों में अपशिष्ट एकतरति करने की जमिमेदारी राज्य नगिरानी समतियिों की देखरेख में शहरी स्थानीय नकियिों पर डाली गई।
- साथ ही, इन नयिनों में प्लास्टिक बैग की मोटाई के लयि एक मानक नरिधारति कयिा गया और खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले बैग के लयि शुल्क वसूलना अनविर्य कर दयिा गया।

- 2016 में ये नयिम कई पहलुओं में अधिक कड़े हो गए। सबसे महत्त्वपूर्ण पहल वसितारति उत्पादकों की ज़म्मेदारी (ईपीआर) की शुरुआत थी जहाँ नरिमाताओं को उनके द्वारा उत्पादति अपशषिट को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लयि, एक कोलड ड्रकि नरिमाता को पीईटी बोटल वापस लेनी होती।
- इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह थी क नरिमाताओं और प्लास्टकि वाहक बैग या बहु-स्तरीय पैकेजिग का आयात करने वालों से ईपीआर के हसिसे के रूप में शुल्कों का संग्रह अनवारि था। फलस्वरूप इससे स्थानीय प्राधकिरणों की वतित्तीय स्थति मज़बूत होती और प्लास्टकि अपशषिट प्रबंधन प्रणालयिों को बढ़ावा मलित।
- लेकनि 2018 में नयिमों में कुछ फेरबदल देखे गए, जो इन्हें थोडा लचर बनाते हैं। इसलयि, धारा 9 (3) के तहत अधसूचति नयिमों में, 'गैर-पुनरचकरण योग्य एमएलपी' शबद को 'एमएलपी' द्वारा प्रतस्थिापति कयि गया जो क गैर-पुनरचकरण योग्य या गैर-ऊर्जा प्राप्ति योग्य है और जसिका कोई वैकल्पकि उपयुग नहीं है। कैरी बैग की कीमतों से संबंधति धारा 15 को भी छोड़ दयि गया है।
- इसके अतरिकित, एक वकिरेता को अब शहरी स्थानीय नकिय को शुल्क का भुगतान करने या इसमें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं रही। इसकी बजाय, एक केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली शुरु करने की योजना है जहाँ दो से अधिक राज्यों में काम करने वाले उत्पादकों को केंद्रीय प्रदूषण नयित्रण बोर्ड के साथ पंजीकरण कराना होगा।

प्लास्टकि अपशषिट प्रबंधन के लयि कयि जा रहे नए प्रयास

- कुछ राज्य कानूनों के अनुपालन में काफी सक्रयि रहे हैं। गोवा उनमें से एक है और हाल ही में महाराष्ट्र ने इसका पालन कयि है, जसिने मार्च में कैरी बैग और एकल उपयुग प्लास्टकि पर प्रतबिंध लगाया था।
- TERI के शोध-पत्र के अनुसार इस दशिा में छोटे उद्यमयिों को पुनरचकरण के लयि प्रोत्साहति करने और कुछ नवाचारी आर्थकि मॉडल तैयार कयि जाने की आवश्यकता है। जैसे- कबाड़ीवाला नवासयिों को समाचार पत्रों को अलग करने के लयि प्रोत्साहति करता है और बदले में नगर पालकिा द्वारा तय की गई पूर्व नरिधारति कीमतों के अनुसार सूखे अपशषिट संग्रह केंद्रों द्वारा उसे भुगतान कयि जाता है।
- इस वरष 5 जून को प्लास्टकि अपशषिट के प्रबंधन के लयि नई राहें खोलने का प्रयास कयि गया, जनिमें उद्युग आधारति कंसोर्टयिम स्थापति करना शामिल था जो प्लास्टकि कचरे का प्रबंधन करने के लयि आपूरति श्रृंखला बनाएगा।
- कंसोर्टयिम में आठ सदस्य आदतिय बड़िला समूह, रेड एफएम, कडिजानयिा इंडयिा - इमागीनेशन एड्यूटेनमेंट इंडयिा प्राइवेट लमिटिड, डालमयिा (भारत) सीमेंट लमिटिड, यूफ्लेक्स लमिटिड और डीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज शामिल हैं; इसका उद्देश्य होगा 'अपशषिट-प्रमाणन भवषिय', और ऐसा करने के लयि यह अपशषिट प्रबंधन को स्थायी रूप से प्रबंधति करने हेतु आवश्यक संस्थागत और नीतगित हस्तक्षेपों की पहचान करेगा।

नषिकर्ष

हालाँकि कंसोर्टयिम ने वभिन्न प्रकार के अपशषिटों के लयि आपूरति श्रृंखला बनाने की कोशशि की है जो क सभि हतिधारकों के लयि एक व्यापारकि मामला है, यह देखा जाना बाकी है क इस तरह के प्रयास लंबे समय तक कैसे जारी रहेंगे। जनता और सरकार की सक्रयि भागीदारी अपशषिट प्रबंधन के लयि अति आवश्यक है। लेकनि एक बात तो सुनिश्चति है कयिदिसमाधान जल्दी से नहीं मलिते हैं तो भारत को प्लास्टकि अपशषिट के नीचे दफन होने की सबसे खराब स्थति के लयि तैयार होना होगा।